लोकतंत्र

लोकतंत्र क्या है?

• एक सरल परिभाषा: लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं।

लोकतंत्र की विभिन्न परिभाषाएँ

- **सीले के अनुसार**, ''लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति भागीदार होता है।
- **डायसी के अनुसार**, ''शासन का वह रुप जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र के अपेक्षाकृत अधिकांश लोग होते है।"
- **अब्राहम लिंकन के अनुसार,** "लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार है।"
- **ब्रायस के अनुसार,** "लोकतंत्र का वास्तव में मतलब संपूर्ण लोगों के शासन से अधिक या कम कुछ नहीं है, जो अपने वोटों के माध्यम से अपनी संप्रभु इच्छा व्यक्त करते हैं।"
- **मैकलेवर के अनुसार,** "लोकतंत्र शासन करने का एक तरीका नहीं है, चाहे बहुमत से या अन्यथा, बल्कि मुख्य रूप से यह निर्धारित करने का एक तरीका है कि कौन शासन करेगा, और मोटे तौर पर इसका अंत क्या होगा।"
- **महात्मा गांधी के अनुसार,** "लोकतंत्र का अर्थ सभी के सामान्य हित की सेवा में लोगों के सभी विभिन्न वर्गों के संपूर्ण भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को जुटाने की विज्ञान की कला होना चाहिए।"

और

- "लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों में स्वतंत्रता, आत्म-सम्मान और अपनी एकता की गहरी भावना होनी चाहिए और उन्हें अपने प्रतिनिधियों के रूप में केवल ऐसे व्यक्तियों को चुनने पर जोर देना चाहिए जो अच्छे और सच्चे हों।"
- **जवाहर लाल नेहरू के अनुसार,** "लोकतंत्र, यदि इसका कोई मतलब है, तो इसका मतलब समानता है; न केवल वोट रखने की समानता बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता।"

लोकतंत्र क्या है?

- **'लोकतंत्र' (Democracy in Hindi)** शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'डेमोस' (लोग) और 'क्रेटोस' (नियम) से हुई है, जिसका मूल अर्थ 'लोगों का शासन' है।
- लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जहां नागरिक सीधे सत्ता का प्रयोग करते हैं या एक शासी निकाय बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

- लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली के रूप में सामने आता है जहां सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है, न कि नागरिक सरकार के प्रति।

इसके आलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में भी पढ़ें!

लोकतंत्र के सिद्धांत

लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत के एक समूह पर आधारित है जो इसकी प्रामाणिकता और प्रभावशीलता को निर्धारित करता है। लोकतंत्र के इन सिद्धांतों में शामिल हैं:

- **भागीदारी** : प्रत्येक नागरिक को, लिंग, नस्ल या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना, मुख्य रूप से मतदान के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है।
- **समानता** : कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और कानून के समान संरक्षण और लाभ के हकदार हैं।
- **पारदर्शिता** : एक लोकतांत्रिक सरकार की प्रक्रियाएं, निर्णय और कार्य पारदर्शी होने चाहिए, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- **जवाबदेही** : निर्वाचित प्रतिनिधि उन लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं जिन्होंने उन्हें चुना है।
- **एजेंडे पर नियंत्रण** : नागरिकों को अपने समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एजेंडे पर निर्णय लेने का सामूहिक अधिकार है।

लोकतंत्र की विशेषताएँ

• इसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं।
• निःशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होते हैं।
• प्रत्येक व्यस्क, चाहे कोई भी धर्म, शिक्षा, जाति, रंग, धन हो का एक वोट, एक मूल्य होता है।
• चुने गये शासक संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित किए गए सीमाओं के भीतर निर्णय लेते हैं।
• कानून का शासन।
• नागरिकों का अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए।
• एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए।

प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ

• पकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का 'मुख्य कार्यकारी' घोषित किया और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया।

→ 2002 में धोखे से एक जनमत संग्रह कराके उन्होंने अपना कार्यकाल पाँच साल के लिए बढ़वा लिया।
→ अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर' के जरिये पकिस्तान के संविधान को बदल डाला जिसके अनुसार राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेम्बलियों को भंग कर सकता है।

• इस प्रकार पकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास है। इसलिए इसे लोकतंत्र शासन नहीं कहना चाहिए।

• लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला

• चीन की संसद के लिए प्रति पाँच वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं जिसे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं।
→ चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है।
→ सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है।
• मैक्सिको में हर छः वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं।

• लेकिन सन् 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई (इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी) नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी| विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी।

• दोनों ही मामलों में लोकतंत्र नहीं कहा जाना चाहिए।

• लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत-हार के समान अवसर हों।

एक व्यक्ति-एक मोल-एक वोट

• किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदहारण अनेक हैं।
→ सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है।
→ एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है।

→ फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है।

• लोकतंत्र में हर व्यस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए।

कानून का राज और अधिकारों का आदर

• स्वतंत्रता के समय से जिम्बावे पर जानु-पीएफ दल का राज है।

• इसके नेता राबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं हैं पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते हैं।

• चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानु-पीएफ दल ही जीतता है।

• विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती है।

• सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है।

• टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते हैं।

• अखबार स्वतंत्र है पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है।

• सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला।

• इस मामले में भी सरकार लोकतांत्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ न ही नागरिकों के बुनियादी अधिकार, विपक्षी दल और न ही न्यायपालिका है।

• एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है।

लोकतंत्र क्यों?

लोकतंत्र के खिलाफ तर्क

• लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है।

• लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती।

• लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करणी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है।

• चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता| इसके चलते खराब फैसले होते हैं।

• लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है।

• सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी; इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए।

लोकतंत्र के पक्ष में तर्क

• लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है क्योंकि यह अधिक जवाबदेह सरकार है।

• लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है।

• मतभेद और संघर्ष से निपटने के लिए लोकतंत्र एक तरीका प्रदान करता है।

• लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है।

• लोकतंत्र हमें अपनी गलतियों को ठीक करने की अनुमति देता है।

लोकतंत्र का वृहतर अर्थ

• हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, जिसमें सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है।
→ बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है।

• लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना।

• लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है।
→ लोकतंत्र एक सरकार, परिवार या किसी अन्य संगठन में लागू हो सकता है।

21वीं सदी में लोकतंत्र का विकास

21वीं सदी में लोकतंत्र में काफी परिवर्तन (जिसमें पतन और नवीनीकरण दोनों शामिल हैं) हो रहा है। कई देशों में **लोकतांत्रिक पतन** देखा जा रहा है, जहाँ निर्वाचित राजनेता लोकतांत्रिक शासन का दिखावा करते हुए संस्थागत ढाँचे और नागरिक स्वतंत्रता को कमज़ोर कर रहे हैं। इसमें न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करना, मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना तथा सार्वजनिक असहमति को दबाना शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों में लोकलुभावन नेताओं ने लोगों की हताशा का फायदा उठाने एवं स्वयं को अभिजात वर्ग विरोधी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है और अक्सर इस प्रक्रिया में सत्ता को केंद्रीकृत किया है।

डिजिटल युग में लोकतंत्र का क्षेत्र और भी जटिल हो गया है। एक ओर , इसने अधिक राजनीतिक भागीदारी और लामबंदी को सक्षम बनाया है ; दूसरी ओर इससे फेक न्यूज़ , ध्रुवीकरण तथा डिजिटल निगरानी को बढ़ावा मिला है। इन घटनाक्रमों से विश्व भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता को चुनौती मिली है।

इन **असफलताओं के बावजूद , लोकतांत्रिक लचीलेपन** के उदाहरण देखने को मिलते हैं। युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों से नागरिक विरोध तथा भागीदारी शासन में नवाचार लोकतांत्रिक आदर्शों को जीवंतता मिल रही है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में स्थानीय लोकतांत्रिक प्रयोग तथा सुधार प्रेरणादायी हैं।

इस निबंध में तर्क दिया गया है कि **21वीं सदी में लोकतंत्र** को **डिजिटल क्रांति , लोकलुभावन राजनीति और वैश्विक पिछड़ेपन के कारण नया रूप** मिल रहा है - फिर भी इसमें आश्चर्यजनक लचीलापन और नवाचार भी देखने को मिलता है। दक्षिण एशिया (विशेष रूप से भारत में) के संदर्भ में , लोकतंत्र के समक्ष संस्थागत एवं सांस्कृतिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस क्षेत्र में लोकतंत्र के विकास से वैश्विक रुझानों के संदर्भ में अंतर्दृष्टि मिलती है।

डिजिटल क्रांति और लोकतंत्र

प्रौद्योगिकी द्वारा लोकतांत्रिक अनुभव मूल रूप से पुनर्परिभाषित हुआ है , जिससे राजनीतिक जानकारी और भागीदारी पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गई है। डिजिटल क्रांति से सहभागिता के नए रूपों को जन्म मिला है। **ऑनलाइन याचिकाओं से लेकर हैशटैग आंदोलनों** तक, चुनाव अभियानों एवं नीतिगत चर्चा को नया रूप मिला है।

भारत में डिजिटल राजनीतिक समन्वय का दायरा काफी व्यापक है। वर्ष 2014 और 2019 के आम चुनावों में राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाया है। व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर ट्रेंड एवं यूट्यूब कंटेंट मतदाताओं तक पहुँचने के क्रम में ज़रूरी साधन

बन गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से अन्ना हज़ारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लेकर हाल ही में हुए किसानों के विरोध प्रदर्शनों तक , **प्रमुख मुद्दों पर नागरिकों को संगठित** करने में मदद मिली है।

हालाँकि, लोकतांत्रिक आवाज़ों को बढ़ावा देने वाले साधन लोकतांत्रिक विमर्श को कमज़ोर भी कर सकते हैं। दक्षिण एशिया में फेक न्यूज़ , डिजिटल निगरानी और हेट स्पीच के बढ़ने से ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिये , भारत और बांग्लादेश में , राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं ने असहमति को कमज़ोर करने और सांप्रदायिक बयानबाज़ी फैलाने के लिये ट्रोल सेनाओं और गलत सूचना अभियानों का इस्तेमाल किया है। ऑनलाइन स्पेस पर नियंत्रण और निगरानी गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चिंताएँ पैदा करती हैं।

इस प्रकार, जहाँ एक ओर प्रौद्योगिकी से लोकतांत्रिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है वहीं इससे नवीन चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। इस क्षेत्र के अनुभव से पता चलता है कि **जब डिजिटल प्लेटफॉर्म** को हथियार बनाया जाता है , तो इससे **जनमत को विकृत** करने एवं **असहमति को दबाने** के साथ **सत्ता पर कब्ज़ा** किया जा सकता है।

लोकलुभावनवाद और उदार लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ

"अराजकता का व्याकरण तब शुरू होता है जब संवैधानिक तरीकों की अनदेखी की जाती है।"
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर

21वीं सदी में लोकलुभावन नेताओं का उदय हुआ है जो भ्रष्ट कुलीन वर्ग और संस्थाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने का दावा करते हैं। लोकलुभावनवाद से यह अक्सर वैध शिकायतों का फायदा उठाते हैं- आर्थिक असमानता , पहचान का संकट या राजनीतिक जड़ता- जबकि साथ ही लोकतांत्रिक मानदंडों के समक्ष चुनौती उत्पन्न होती है।

भारत इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि लोकलुभावनवाद किस तरह लोकतांत्रिक संस्थाओं से संबंधित है। विभिन्न नेताओं ने राष्ट्रवाद , धार्मिक पहचान और आर्थिक वादों को मिलाकर एक शक्तिशाली लोकप्रिय जनादेश तैयार किया है। इसी तरह के रुझान अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भी देखे जा सकते हैं , जहाँ नेताओं ने अपनी राजनीति को अभिजात वर्ग के खिलाफ नैतिक धर्मयुद्ध के रूप में ढाला है और इस प्रक्रिया में अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार किया गया है।

श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में लोकलुभावनवाद के कई रूप देखने को मिलते हैं , जिनमें जातीय-राष्ट्रवादी एजेंडे से लेकर संसदीय तंत्र को दरकिनार करते हुए प्रत्यक्ष शासन की मांग

तक शामिल है। हालाँकि ऐसे नेता शुरू में जनसमर्थन जुटा लेते हैं, लेकिन ये अक्सर नियंत्रण और संतुलन को कमज़ोर करने एवं कार्यकारी शक्ति को केंद्रित करने के साथ न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करते हैं।

प्रमुख बात यह है कि **लोकलुभावनवाद, लोकतांत्रिक प्रणाली** में विकसित होता है **- यह स्वाभाविक रूप से अलोकतांत्रिक नहीं** है। फिर भी, जब नेता चुनावी जीत को पूर्ण वैधता के बराबर मानते हैं, तो उदार लोकतंत्र की भावना खोखली हो जाती है। दक्षिण एशिया के अनुभव से पता चलता है कि किस प्रकार लोकलुभावन पहलू से औपचारिक संस्थाओं के बने रहने पर भी लोकतांत्रिक संस्कृति कमज़ोर हो सकती है।

वैश्विक और क्षेत्रीय लोकतांत्रिक पतन

लोकतांत्रिक पतन (लोकतंत्र की गुणवत्ता में क्रमिक गिरावट) एक वैश्विक चिंता का विषय है। विश्व भर के देशों में न्यायिक स्वतंत्रता , मीडिया की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता में कमी आ रही है। दक्षिण एशिया भी इससे अछूता नहीं रहा है।

भारत (जिसे लंबे समय से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है) ने कई चुनौतियों का सामना किया है, जिससे यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में चिंताओं को बढ़ावा मिला है। फ्रीडम हाउस ने वर्ष 2021 में बढ़ते अधिनायकवाद, इंटरनेट शटडाउन और असहमति के दमन का हवाला देते हुए भारत को "स्वतंत्र" से "आंशिक रूप से स्वतंत्र" का दर्जा दिया। **नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और कश्मीर में अनुच्छेद 370** के निरसन से बहुसंख्यक राजनीति और मानवाधिकारों के संबंध में वैश्विक चिंताओं को बढ़ावा मिला है। इन नीतियों के खिलाफ विरोध आंदोलनों की प्रतिक्रिया में गिरफ्तारियों के साथ इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति देखी गई।

पाकिस्तान में लोकतंत्र संकर अवस्था में है। नागरिक सरकारें , शक्तिशाली सैन्य संस्थाओं के नियंत्रण में कार्य करती हैं। यहाँ भ्रष्टाचार से अक्सर चुनाव प्रभावित होते हैं , मीडिया सेंसरशिप भी देखने को मिलता है और नागरिक समाज पर निरंतर दबाव बनाया जाता है। बांग्लादेश में भी (विशेष रूप से विवादास्पद चुनावों , विपक्ष की कार्रवाई और डिजिटल सुरक्षा अधिनियम के बाद) लोकतांत्रिक साख पर सवाल उठाए गए हैं।

नेपाल और श्रीलंका में चुनाव होने के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता , कार्यकारी हस्तक्षेप और कमज़ोर संस्थाओं की समस्या बनी हुई है। आर्थिक पतन और शासन की विफलताओं से प्रेरित वर्ष 2022 का श्रीलंका संकट इस बात को रेखांकित करता है कि जवाबदेही और पारदर्शिता के अभाव में लोकतांत्रिक मानदंड कितने कमज़ोर हो सकते हैं।

ये क्षेत्रीय पैटर्न व्यापक वैश्विक प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करते हैं तथा इनसे पता चलता है कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष तख्तापलट के माध्यम से नहीं, बल्कि क्रमिक संस्थागत पतन के माध्यम से नष्ट हो सकता है।

नवाचार और लोकतांत्रिक लचीलापन

विभिन्न चुनौतियों के बावजूद , लोकतंत्र अभी भी पुराना नहीं हुआ है। पूरे दक्षिण एशिया में नागरिक और समुदाय आधारभूत स्तर पर सक्रियता , न्यायिक हस्तक्षेप एवं संस्थागत सुधारों के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं को महत्त्व दे रहे हैं।

भारत की न्यायपालिका ने आलोचना का सामना करते हुए भी कई बार सुरक्षा कवच की भूमिका निभाई है तथा नागरिक अधिकारों , पर्यावरण संरक्षण एवं चुनावी अखंडता से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप किया है। नागरिक समाज संगठनों ने लैंगिक न्याय से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक के मुद्दों पर लामबंद होकर सत्ता को जवाबदेह बनाने के क्रम में पारंपरिक और डिजिटल दोनों ही तरह के मंचों का इस्तेमाल किया है। **CAA विरोधी प्रदर्शन (जो मुख्य रूप से युवाओं के नेतृत्व वाले और विकेंद्रीकृत हैं)** इस बात का उदाहरण है कि **दमन के बावजूद असहमति** कैसे जीवंत बनी हुई है।

नेपाल में राजशाही से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन (हालाँकि अव्यवस्थित है) से एक उल्लेखनीय लोकतांत्रिक प्रयोग पर प्रकाश पड़ता है। जातीय तनाव और राजनीतिक विवादों के बावजूद संविधान निर्माण में नागरिकों की भागीदारी , संघर्ष के बाद के समाजों में सहभागी लोकतंत्र की क्षमता को दर्शाती है।

स्थानीय शासन में विचार-विमर्श और भागीदारीपूर्ण नवाचार विकसित हो रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भागीदारीपूर्ण बजट , स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की सामुदायिक निगरानी तथा ग्राम-स्तरीय योजना से चुनावों से परे, लोकतंत्र की भावना पर प्रकाश पड़ता है। ये पहल एक ऐसे भविष्य की परिचायक हैं जहाँ लोकतंत्र अधिक समावेशी और उत्तरदायी होगा।

इसके अलावा, जलवायु सक्रियता से लेकर लैंगिक न्याय तक के अंतर्राष्ट्रीय युवा आंदोलनों से नवीन लोकतांत्रिक चेतना को बढ़ावा मिल रहा है। दक्षिण एशिया की युवा आबादी केवल एक जनसांख्यिकीय तथ्य नहीं है बल्कि यह एक राजनीतिक शक्ति भी है जिससे समन्वय की रूपरेखा को नया आकार मिल रहा है।

भारत में लोकतंत्र का प्रकटीकरण

- भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र (Democracy in Hindi), एक दिलचस्प केस स्टडी प्रस्तुत करता है।
- भारत में यह एक जीवंत, बहुस्तरीय राजनीतिक प्रणाली है जो विविधता को अपनाती है और अद्वितीय तरीकों से लोकतंत्र के सिद्धांतों को कायम रखती है।

भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं

भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं भारत के विविध सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य को समायोजित करते हुए लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। **भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं** में शामिल हैं:

- **संघीय संरचना** : भारत एक संघीय संरचना का पालन करता है जहां शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है।
- **सरकार का संसदीय स्वरूप** : राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
- **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** : 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है, जिससे समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।
- **मौलिक अधिकार** : भारतीय संविधान सभी नागरिकों को छह **मौलिक अधिकारों** की गारंटी देता है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है।
- **आपातकालीन अवस्था**: संविधान के अनुसार, भारत में आपातकाल के समय सरकार को विशेष शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति होती है, लेकिन इसका उपयोग उचित प्रमाण में होना चाहिए।
- **स्वतंत्र मीडिया**: भारत में मीडिया को स्वतंत्रता का अधिकार है, और यह सरकार और शक्तिशाली दलों की निगरानी करता है।
- **संवैधानिक संरक्षण**: **भारत का संविधान** राष्ट्र के मूल अधिकार और मूल स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी माध्यम है, और इसे संरक्षित रखने के लिए **सुप्रीम कोर्ट** की भूमिका होती है।
- **भूमिकात्मक और जातिवाद के खिलाफ**: आधुनिक भारत में लोकतंत्र (democracy in hindi) का प्रमुख उद्देश्य भूमिकात्मक और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में है, और यह सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों का अधिकारी है।

धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर यहां जानें!

लोकतंत्र के प्रकार

लोकतंत्र (Democracy in Hindi) सभी के लिए एक ही आकार की व्यवस्था नहीं है। यह किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भों के अनुरूप विभिन्न रूप और संरचनाएं अपनाता है। आइए लोकतंत्र के कुछ प्रमुख प्रकारों का पता लगाएं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और तंत्र हैं।

प्रतिनिधिक लोकतंत्र

- **प्रतिनिधि लोकतंत्र** में, नागरिक अपनी ओर से कानून और नीतियां बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
- प्रजातंत्र (Democracy in Hindi) का यह रूप बड़े और आबादी वाले देशों में प्रचलित है जहां सभी नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण है।
- आमतौर पर एक विशिष्ट अवधि के लिए चुने गए प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्णय लेते समय अपने मतदाताओं के हितों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करें।

संवैधानिक लोकतंत्र

- **संवैधानिक लोकतंत्र** एक संविधान द्वारा विनियमित लोकतांत्रिक सरकार है। यह संविधान मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को स्थापित करता है, और अक्सर अपने नागरिकों को बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है।
- संवैधानिक लोकतंत्र में, सरकार और उसके अधिकारियों की शक्ति कानून द्वारा सीमित होती है, और उन्हें इन कानूनों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाता है।
- मूल विचार सत्ता के दुरुपयोग को रोकना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, जिससे लोकतंत्र के सिद्धांतों को बरकरार रखा जा सके।

मॉनिटरी लोकतंत्र

- **मॉनिटरी लोकतंत्र** लोकतंत्र का एक आधुनिक रूप है जहां विभिन्न प्रकार की निगरानी संस्थाएं और एजेंसियां सत्ता के प्रयोग की निगरानी करती हैं और उसे प्रभावित करती हैं।
- मॉनिटरी लोकतंत्र गैर-सरकारी संगठन, स्वतंत्र मीडिया, सार्वजनिक अखंडता आयोग और विभिन्न अन्य निकाय हो सकते हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यों पर नज़र रखते हैं।
- वे सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग पर जवाबदेही, पारदर्शिता और नियंत्रण की एक अतिरिक्त परत प्रदान करते हैं।

इस प्रकार के लोकतंत्रों को समझकर, हम लोकतांत्रिक प्रणालियों की तरलता और अनुकूलनशीलता की सराहना कर सकते हैं। चाहे वह प्रतिनिधि लोकतंत्र हो जो लोगों की शक्ति के साथ व्यावहारिकता को संतुलित करता है, संवैधानिक लोकतंत्र जो लोकतांत्रिक संरचना की रक्षा करता है, या मौद्रिक लोकतंत्र जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है, प्रत्येक प्रकार लोकतांत्रिक लोकाचार में विशिष्ट योगदान देता है।

लोकतंत्र के तत्व

जबकि लोकतंत्र (democracy के सिद्धांत एक दार्शनिक ढांचा प्रदान करते हैं, ऐसे मूर्त तत्व या घटक हैं जो इन सिद्धांतों को साकार करते हैं, जिससे लोकतंत्र एक कार्यात्मक वास्तविकता बन जाता है। आइए उन महत्वपूर्ण तत्वों का पता लगाएं जो एक लोकतांत्रिक समाज में जीवन फूंकने में मदद करते हैं।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव

- लोकतंत्र का एक प्रमुख तत्व नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है।
- ये चुनाव नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों और सरकारी नेताओं को चुनने की अनुमति देते हैं।सभी पात्र नागरिकों को बिना किसी दबाव या हेरफेर के वोट देने का अधिकार है।
- निष्पक्षता यह दर्शाता है कि चुनाव प्रतिस्पर्धी, निष्पक्ष और पारदर्शी हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि परिणाम मतदाताओं की इच्छा को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

कानून का शासन

- लोकतंत्र कानून के शासन पर आधारित है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि सरकारी अधिकारियों सहित प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है और कानून की नजर में समान है।
- यह सुनिश्चित करता है कि कानून सार्वजनिक रूप से ज्ञात हों, सार्वभौमिक रूप से लागू हों और निष्पक्ष रूप से लागू हों, इस प्रकार नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके।

धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? यहां जानें!

बुनियादी मानवाधिकारों का संरक्षण

- लोकतंत्र (Democracy in india in Hindi) की विशेषता मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा भी है।
- ये अधिकार, जो अक्सर किसी देश के संविधान में निहित होते हैं, उनमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता शामिल हो सकते हैं।
- एक लोकतांत्रिक समाज मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हुए इन अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा करता है।

सक्रिय नागरिक भागीदारी

- सक्रिय नागरिक भागीदारी लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण तत्व है। मतदान के अलावा, नागरिक अपने विचार व्यक्त करके, सार्वजनिक अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करके और सामुदायिक और नागरिक गतिविधियों में भाग लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं।
- यह भागीदारी एक जीवंत और उत्तरदायी लोकतांत्रिक समाज को बढ़ावा देती है।

राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित सभी प्रावधानों को जानें!

लोकतांत्रिक संस्थाएँ

- लोकतांत्रिक संस्थाएँ लोकतांत्रिक समाज की रीढ़ होती हैं। ये संस्थाएँ, जिनमें न्यायपालिका, संसद या कांग्रेस और कार्यकारी निकाय शामिल हैं, संवैधानिक कानूनों और सिद्धांतों के ढांचे के भीतर काम करती हैं। वे शक्ति को संतुलित करते हैं, जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और लोकतांत्रिक शासन की सुविधा प्रदान करते हैं।

- ये तत्व लोकतांत्रिक समाज की जीवनधारा बनाते हैं, लोकतांत्रिक लोकाचार को आकार और सार देते हैं।वे स्पष्ट करते हैं कि लोकतंत्र केवल समय-समय पर होने वाले चुनावों के बारे में नहीं है बल्कि एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें कानूनी प्रणालियाँ, संस्थाएँ और, सबसे महत्वपूर्ण बात, सूचित और जागरूक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी शामिल है।

लोकतंत्र के पक्ष में तर्क

लोकतंत्र (Democracy in Hindi) एक ऐसा प्रणाली है जो सरकार को जवाबदेही बनाता है और नागरिकों को अपने देश के संचालन में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे समाज में न्याय और समानता की स्थापना होती है। यहां लोकतंत्र के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए जा रहे हैं:

1. **नागरिकों की सहमति**: लोकतंत्र में नागरिकों की सहमति से सरकार बनती है, जिससे लोगों का अधिकार और रुझान सरकार के विचारों को प्रभावित करते हैं।
2. **स्वतंत्रता और स्वाधीनता**: लोकतंत्र नागरिकों को स्वतंत्रता और स्वाधीनता की भावना देता है, क्योंकि वे अपने अधिकारों के लिए स्वयं चुनाव कर सकते हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।
3. **न्यायपालिका का महत्व**: लोकतंत्र में न्यायपालिका का महत्व होता है, जिसका काम होता है सरकार के निर्णयों की न्यायिक जांच करना, और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना।
4. **सामाजिक न्याय**: लोकतंत्र सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह अल्पसंख्यकों और दलितों के अधिकारों की सुरक्षा करने में मदद करता है और सामाजिक असमानता को कम करने का प्रयास करता है।
5. **स्वतंत्र मीडिया**: लोकतंत्र में मीडिया को स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जिससे यह सरकार के कार्यों को निगरानी कर सकता है और नागरिकों को सही जानकारी प्रदान कर सकता है।
6. **राजनीतिक स्थायिता**: लोकतंत्र राजनीतिक स्थायिता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह विभिन्न विचारों और पार्टियों को अपने दरबार में आने का मौका देता है, और यह सरकार के लिए जागरूकता और जवाबदेही बढ़ाता है।
7. **सुरक्षित और स्थिरता**: लोकतंत्र सुरक्षितता और स्थिरता की भावना पैदा करता है, क्योंकि यह लोगों को सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा करने में सशक्त बनाता है।
8. **विकास और प्रगति**: लोकतंत्र विकास और प्रगति के लिए एक अनुकूल माहौल पैदा करता है, क्योंकि यह नागरिकों को उनके योगदान के आधार पर सरकार को चुनने की स्वतंत्रता देता है।

लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क

लोकतंत्र (Democracy in Hindi) के विपक्ष में ये तर्क उठाए जाते हैं, जो समाज में विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रकट करते हैं और सरकार को सुधारने और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

1. **सरकारी असमर्थन**: कुछ विपक्षी तर्क करते हैं कि लोकतंत्र में सरकार काम करने में असमर्थ होती है और उसके प्रबंधन में कई बार असफल हो जाती है, जिससे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है।

2. **असमानता और भ्रष्टाचार**: विपक्षी तर्क करते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ती है और यह विभिन्न वर्गों के बीच असमानता को बढ़ावा देता है।
3. **अस्तित्व की खतरा**: कुछ विपक्षी तर्क करते हैं कि लोकतंत्र के तहत समर्थन प्राप्त करने वाली सरकारों में आदिकाल से अस्तित्व की खतरा होती है, जिससे यह एक तानाशाही तंत्र बन सकता है।
4. **विचारमुक्ति की सीमाएं**: विपक्षी तर्क करते हैं कि लोकतंत्र के तहत विचारमुक्ति की सीमाएं होती हैं, और लोगों को अपने विचारों की खुली आवश्यकता होती है, जिससे समाज में विवाद और असमर्थता पैदा हो सकती है।
5. **चुनावी प्रक्रिया का मिथ्याभाषी उपयोग**: कुछ विपक्षी तर्क करते हैं कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया का मिथ्याभाषी उपयोग किया जा सकता है, जिससे निर्वाचनों में अनैतिकता हो सकती है।
6. **विपरीत प्रभावशाली दबाव**: विपक्षी तर्क करते हैं कि लोकतंत्र में विपरीत प्रभावशाली दबाव हो सकता है, जिससे सरकार अपनी नीतियों को बदलने के लिए जान बूझकर बुआई कर सकती है।

निष्कर्ष- लोकतंत्र एक जीवंत एवं संघर्षपूर्ण प्रक्रिया है जिसका निर्धारण नागरिकों के साहस और रचनात्मकता से होता है। इसका विकास नेताओं एवं संस्थानों द्वारा निर्धारित होता है लेकिन यह नागरिक सहभागिता, संस्थागत जवाबदेही एवं वैश्विक परिवर्तनों के अनुकूल होने की क्षमता पर भी निर्भर है। कुल मिलाकर, **वर्तमान में लोकतंत्र न तो पतन की ओर है और न ही उत्थान की ओर-** यह प्रवाह में है। लोकतांत्रिक लोकाचार में समन्वय के संतुलन के साथ अनुकूलनशीलता , वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को उन्नत करने की कुंजी है।